प्रेषक,

कुलदीप कुमार रस्तोगी,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0 लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3 **लखनऊ : दिनाँक 31 मार्च, 2022**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2021-22 में स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, फिरोजाबाद में उपकरणों के क्रय की अनुमति दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एम0ई0/पर्चेज/2021-22, दिनांक 26.03.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उल्लेखनीय है कि प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, फिरोजाबाद के पत्र दिनांक 17.06.2021 द्वारा निर्माणाधीन 200 बेडेड हास्पिटल में कोविड चिकित्सालय हेतु 20 प्रकार के उपकरणों का क्रय रा0नि0नि0 द्वारा उपलब्ध करायी गयी धनराशि रू0 16.80 करोड़ से किये जाने पर अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया गया।

3- उक्त के उपरांत डेगु महामारी के दृष्टिगत कतिपय अन्य उपकरणों के क्रय हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया। तात्कालिकता के दृष्टिगत शासनादेश दिनांक 01.09.2021 द्वारा प्रश्नगत 20 उपकरणों की लागत रू0 2,89,75,000.00 के क्रय पर अनुमोदन प्रदान किया गया। उक्त के सापेक्ष रू0 63,79,486.00 लागत के 10 प्रकार के उपकरणो का क्रय किया गया।

4- महानिदेशक, चि0शि0 एवं प्रशि0 के पत्र दिनांक 08.02.2022 एवं प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, फिरोजाबाद के पत्र दिनांक 14.02.2022 से स्पष्ट है कि ई0सी0आर0पी0 2021-22 (द्वितीय फेज) के अंतर्गत स्वीकृत गतिविधियों – S.2.1- Establishment of 42 badded paedistric Care Unit in Medical College आई0सी0यू0 बेड एवं 42 बेडेड एवं **FMR-S.2.4- ICU Beds Sanctioned added at Medical College including 20% of Paedistric ICU** की स्थापना हेतु उ0प्र0 मेडिकल सप्लाई कारपोरेशन को प्रेषित उपकरणों की सूची में प्रश्नगत 10 उपकरण सम्मिलित है।

5- उपकरणों के क्रय की पुनरावृत्ति न हो इस हेतु शासनादेश दिनांक 01.09.2021 द्वारा स्वीकृत उपकरणों को संशोधित करते हुए उक्त के स्थान पर निम्नानुसार 10 प्रकार के उपकरणों (लागत रू0 63,79,486.00) के क्रय की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

S.No.	Item Name	Qty		S.No.	Item Name	Qty
1	IV Stand	150		6	Locker	100
2	Bedside Screen three fold	15		7	Almirah	20
3	Medicine Trolley	20		8	Water Cooler with RO	5
4	Hospital Beds with Mattress and Railing	138		9	Hospital Bench SS	40
5	Air Conditioner	24		10	Over Bed Trolley (Food Trolley)	25

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

6- चूंकि मेडिकल कालेज, फिरोजाबाद हेतु उपकरण क्रय किये जाने के सम्बन्ध में उ0प्र0 मेडिकल सप्लाई कारपोरेशन को प्रेषित उपकरणों की सूची में से कतिपय उपकरण पूर्व में ही प्रधानाचार्य मेडिकल कालेज, फिरोजाबाद द्वारा क्रय कर लिया गया है। अतएव पुनरावृत्ति से बचने हेतु निम्नानुसार 06 प्रकार के उपकरणों की मात्रा को कम कर दिया जाए:-

क्र0सं0.	उपकरण का नाम	उपकरणों की मात्रा
1	IV Stand	92
2	Medicine Trolley	9
3	Hospital Beds with Mattress and Railing	30
4	Locker	12
5	Water Cooler with RO	1
6	Over Bed Trolley (Food Trolley)	25

7- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, फिरोजाबाद में उपर्युक्तानुसार फर्नीचर का क्रय उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम द्वारा उपलब्ध करायी गयी धनराशि रू0 16.80 करोड़ से क्रय किये जाने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है:-

1. सुसंगत नियमों और प्राविधानों का पालन करते हुये पारदर्शी प्रक्रिया के तहत आवश्यक और उपयोगी उपकरण/फर्नीचर ही क्रय किये जायें। सभी उपकरणों/फर्नीचरों की विशिष्टियों, गुणवत्ता, नियमानुसार युक्तिसंगत दरों का निर्धारण महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं सम्बन्धित प्रधानाचार्य द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा तथा आडिट आदि की जिम्मेदारी सम्बन्धित संस्था की होगी।
2. प्रश्नगत फर्नीचर का क्रय एन0एम0सी0 के मानकों के अनुरूप किया जायेगा तथा प्रश्नगत फर्नीचर के मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी प्रधानाचार्य की होगी। फर्नीचर क्रय किये जाने के उपरांत उनकी गुणवत्ता एवं मानक के अनुसार होने सम्बन्धी रिपोर्ट प्रधानाचार्य द्वारा शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।
3. डुप्लीकेसी से बचने हेतु फर्नीचर/उपकरण क्रय करने से पूर्व सत्यापित करा लिया जाय। यह सुनिश्चित किया जाय कि फर्नीचर की वास्तविक रूप से आवश्यकता है।
4. यह भी सुनिश्चित कर लिया जाए कि प्रश्नगत फर्नीचर की स्थापना हेतु स्थान, भवन आदि उपलब्ध है तथा संचालन हेतु मानव संसाधन उपलब्ध है।
5. स्वीकृत धनराशि से उन्हीं फर्नीचर का क्रय किया जायेगा जिसके स्पेसिफिकेशन उपलब्ध हो।
6. उपकरण/संयत्र के क्रय में सुसंगत वित्तीय नियमों, उ0प्र0 प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल (प्रोक्योरमेन्ट आफ गुड्स) 2016 के प्राविधानों तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग द्वारा निर्गत ई-टेण्डर/ई-प्रोक्योरमेन्ट/गवर्मेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) पोर्टल से सम्बन्धित शासनादेशों का पूर्णत: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनॉक 22-03-2021 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

8- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22-03-2021 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिहित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
संयुक्त सचिव।

संख्या/दिनांक, उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. प्रधानाचार्य, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, फिरोजाबाद।
4. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
5. वित्त नियंत्रक, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, फिरोजाबाद।
6. निदेशक, उ0प्र0 मेडिकल सप्लाई कारपोरेशन, लि0।
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी, फिरोजाबाद।
8. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।